फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री उदयसिंह | **विपक्षी : श्रीमती ओसबकुंवर**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 15/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 16.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट् एवं रेस्पोडेन्ट सं. 26 स्वयं उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 25 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट् एवं रेस्पोडेन्ट सं. 26 की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट् एवं रेस्पोडेन्ट सं. 26 की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 1077 का अवलोकन किया। अपीलान्ट् द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चुण्डावत खेडी पटवार हल्का बडगांव द्वारा नामान्तरकरण सं. 1077 दिनांक 08.06.2022 को अपीलान्ट के पिता निर्भय सिंह की मृत्यु होने से विरासत के आधार पर खोला गया जो गांव के अन्य निर्भयसिंह के विरासत का पारित होने से उक्त पारित नामान्तरकरण खारिज किया जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 26 द्वारा उक्त नामान्तरकरण निर्भयसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत नाम एवं जाति का गांव में अन्य व्यक्ति होने से अन्य निर्भयसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत का नामान्तरकरण गलत पारित होना बताकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। पत्रावली के अवलोकन से जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा दिनांक 08.06.2022 को पारित किया गया हैं। प्रकरण के अवलोकन उक्त नामान्तरकरण ग्राम पचांयत द्वारा निर्भयसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत का निर्भयसिंह की मृत्यु होने पर विरासत के आधार पर पारित किया गया है, जबकि उक्त नामान्तरकरण पारित करते समय सेहवन से गांव के अन्य निर्भयसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत नाम का अन्य व्यक्ति जिसका नाम एवं जाति समान होने से मृतक निर्भयसिंह के बजाय गांव के अन्य निर्भयसिंह के विरासत का नामान्तरकरण पारित कर दिया है। रेस्पोडेन्ट् सं. 1 से 25 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर अपीलान्ट् की अपील का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी अपीलान्ट् के अपील को बल मिलता हैं। सही नामान्तरकरण पारित नहीं होने से अपीलान्ट् को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट् न्यायहित में स्वीकार की जाती है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1077 दिनांक 08.06.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट् के पिता निर्भयसिंह के विरासत का सही नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by(Shrikant Vyas)
Date: 2023.02.14 12:59:04 IST
Reason: SelfAttested

व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली